4043
1/12/09

राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय, खान एवं भू विज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY,
खनिज भवन / Khanij Bhawan, उदयपुर / Udaipur-313001.
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: (0294)-2410526

क्रमांक निखाभू / भील / सीसी–3 / प.1(1)915 / 05 / 3009 दिनांक:– 30/11/09

आदेश

चूंकि इस विभाग के समसख्यक आदेश क्रमांक निखाभू / भील / सीसी–3 / प–1(1) 915 / 2005 / 2676 दिनाक 28.8.2006 द्वारा श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नि श्री छत्रपालसिह निवासी– खारिया बडा तहसील तहसील सुजानगढ जिला चुरू के पक्ष में खनिज फैल्सपार, क्वार्टज निकट ग्राम झालरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा में क्षेत्र 5.00 हेक्टेयर का खनन पट्टा संविदा पंजीयन की तिथि से 30 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया था।

खनि अभियन्ता भीलवाडा ने पत्र दिनांक 13.10.2009 से अवगत कराया है कि इसी दौरान भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.9.2006 प्रभाव मे आने के कारण आवेदिका को कार्यालय पत्र दिनाक 27.10.2006 से पर्यावरण क्लीयरेन्स पेश करने हेतु 30 दिवसीय नोटिस जारी किया गया । जारी नोटिस की पालना मे आवेदिका ने पत्र दिनांक 15.11.2006 से क्षेत्र कम कर 4.51 हेकटर क्षेत्र के सशोधित प्लान पेश किये जिसकी जांच मानचित्रकार द्वारा दिनांक 16.11.2006 को की गई जाच रिपोर्ट अनुसार सशोधित क्षेत्र का सम्पूर्ण भाग रिक्त है । सशोधित क्षेत्र का सीमांकन दिनांक 28.12.2006 को किया गया । इसी बिच जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा उनके पत्र दिनाक 29.6.2007 से प्रस्तावित खनन क्षेत्र मे ग्राम झालरा की आराजी नम्बर 2326 से 2328, 2058, 2066, 2320, 2322 से 2324, 2330 से 2332 मे स्थित होकर 80 प्रतिशत क्षेत्र देव स्थान की भूमि (आसन) के नाम दर्ज होने तथा ग्रामवासियो की आपत्ति होने का उल्लेख करते हुऐ खनन अनुज्ञा की अनापत्ति जारी की जाना सम्भव नही होने से कार्यवाही समाप्त कर दी गई ।

इस सम्बन्ध मे आवेदिका को खनि अभियन्ता, भीलवाडा द्वारा दिनांक 2.2.2008 से सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुऐ नोटिस जारी किया गया । आवेदिका द्वारा नोटिस की पालना मे पत्र दिनांक 25.2.2008 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि देव स्थान की भूमि तथा ग्रामवासियो की सहमति प्राप्त कर जिला कलक्टर भीलवाडा से संविदा निष्पादन की अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है किन्तु आवेदिका द्वारा अभी तक जिला कार्यालय से संविदा निष्पादन हेतु अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत नही करने के कारण स्वीकृति आदेश रिवोक योग्य है ।

अतः खनिज रियायत नियमावली 1960 के तहत प्रदत्त अधिकारो का उपभोग करते हुए निदेशालय के स्वीकृति आदेश दिनांक 28.8.2006 को प्रतिसंहृत(रिवोक) किया जाता है।

निदेशक, 27/11/09
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
राजस्थान,उदयपुर

क्रमांक: निखाभू / भील / सीसी–3 / प.1(1)915 / 05 / 3010 से 3020 दिनांक:– 30/11/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. खनि अभियन्ता, भीलवाडा को उनके पत्र दिनांक 13.10.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर लेख है कि क्षेत्र पुनः अनुदान हेतु रिक्त घोषित के प्रस्ताव अविलम्ब भिजावें।
2. (रजि.ए.डी.) श्रीमती लक्ष्मी कंवर पत्नि श्री छत्रपालसिह निवासी– खारिया बडा पोस्ट नोरंगसर तहसील तहसील सुजानगढ जिला चुरू (राज0)।
3. महा नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, प्रथम मंजिल, डी. ब्लॉक सिविल लाईन, इन्दिरा भवन, नागपुर।
4. क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर जोन, उदयपुर।
6. अधीक्षण खनि अभियन्ता, भीलवाडा वृत भीलवाडा ।
7. जिला कलक्टर, भीलवाडा ।
8. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
9. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
10. अधीक्षक भूवैज्ञानिक, रिमोट सेंसिंग,के0का0, उदयपुर
11. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण खनि अभियन्ता(मु0।।)